CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. X, Fifth Session, 2021/1942 (Saka)
No. 04 Wednesday, February 3, 2021/ Magha 14, 1942 (Saka)

SUBJECT	PAGES
OBSERVATION BY THE SPEAKER	9
Maintaining Proper Decorum and Dignity of the House	
ORAL ANSWER TO QUESTION	
Unstarred Question No.21	10-18
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 22 to 40	19-82
Unstarred Question Nos. 231 to 460	83-599

PAPERS LAID ON THE TABLE 600-606

STANDING COMMITTEE ON FINANCE 607-608

12th to 24th Reports

STANDING COMMITTEE ON LABOUR 609

10th to 15th Reports

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY 610

300th to 303rd Reports

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE 610

340th Report

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE 611

280th to 286th Reports

MOTIONS RE: ELECTION TO COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES 612-613

MATTERS UNDER RULE 377 615-624

(i) Need to run superfast trains from Maldah, West Bengal to New Delhi and Bengaluru.

Shri Khagen Murmu 615

(ii) Need to develop places with scenic natural beauty in Kanker Parliamentary Constituency, Chhattisgarh as tourist destinations.

Shri Mohan Mandavi 616

(iii) Need for a policy for cycling tracks in all cities.

Shri Parvesh Sahib Singh Verma 616

(iv) Regarding mode of transfer of funds to Panchayati Raj Institutions in Rajasthan.

Shri Ramcharan Bohra 617

(v) Need to address the problems afflicting the Tripura Tribal Area Autonomous District Council

Shri Rebati Tripura 617

(vi) Regarding need to sanction funds for development of Pomegranate Research Centre, Solapur, Maharashtra.

Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya Swamiji 617

(vii) Regarding water scarcity in Darjeeling hills, terai and dooars in West Bengal.

Shri Raju Bista 618

(viii) Regarding delay in construction of new building for ESI dispensary at Navaikulam in Attingal, Kerala.

Adv. Adoor Prakash 618

(ix) Regarding Tiruchirappalli Junction 4-lane RoB project near Mannarpuram, Tamil Nadu.

Shri Su. Thirunavukkarasar 619

(x) Regarding alleged fraud in the PM Kisan Scheme.

Shri Gautham Sigamani Pon 620

(xi) Regarding initiatives to complete Morappur-Dharmapuri New Railway line.

Shri DNV Senthilkumar S. 621

(xii) Regarding sanction of pending amount under National Social Assistance Programme to Andhra Pradesh.

Shri Kuruva Gorantla Madhav 621

(xiii) Regarding facilities of Minority education in National Education Policy (NEP 2020).

Shrimati Sajda Ahmed 622

(xiv) Regarding New Education Policy.

Shri P.R. Natarajan 623

(xv) Need to enhance the rate of compensation for loss of horticulture and cash crops due to natural calamities.

Shri Hanuman Beniwal 624

(xvi) Need to attach Vistadome Coaches in Kollam-Chennai route.

Shri N.K. Premachandran 624

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions

Member-wise Index to Unstarred Questions

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, February 3, 2021/ Magha 14, 1942 (Saka)

The Lok Sabha met at Sixteen of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

…(व्यवधान)

16.01 hrs

At this stage, Shri Bhagwant Mann came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह क्वेश्चन ऑवर सस्पेंड करने के लिए मैंने नोटिस दिया है। …(व्यवधान) सर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे इस नोटिस पर आप थोड़ा गौर करें और हमें यह अनुमति दी जाए कि हम सबसे पहले किसान के ये मुद्दे उठा सकें। …(व्यवधान) सर, देश की छवि बाहर बड़ी खराब हो रही है। …(व्यवधान) लगता है कि हमारे यहां ब्रिटिश की हुकूमत आ गई है। …(व्यवधान) सर, किसान के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार हो रहा है, वह बयान नहीं किया जा सकता है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नियम और प्रक्रिया के तहत बताइए कि किस नियम के तहत प्रश्न काल स्थगित करें?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम सब बड़े परेशान हैं। …(व्यवधान) पूरी दुनिया के कोने-कोने से हमारे खिलाफ आज आवाज़ उठ रही है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नियम और प्रक्रिया का हवाला दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हमारे देश की छवि धूमिल हो रही है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप नियम और प्रक्रिया बताएं।

…(व्यवधान)

16.03 hrs

At this stage, Adv. A.M. Ariff and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

16.04 hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKERS

Maintaining Proper Decorum and Dignity of the House

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल सभी माननीय सदस्यों का एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। मेरा प्रयास होता है कि प्रश्न काल चले ताकि माननीय सदस्य जनता की भावनाओं और अभिव्यक्ति को रख सकें और कार्यपालिका पर जवाबदेही निश्चित कर सकें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सदन में कुछ माननीय सदस्य संसदीय मर्यादाओं का बहुत उल्लंघन करते हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूँ कि संसद की मर्यादा को बनाए रखें। अगर बार-बार संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो मुझे अनुशासन की ठोस कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं आपसे बार-बार आग्रह कर रहा हूँ।

…(व्यवधान)

16.05 hrs

ORAL ANSWER$ TO QUESTION$

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 21 - श्री नव कुमार सरनीया।
... (व्यवधान)

उत्तर-पूर्वी राज्यों में बीएसएनएल की सेवाएँ

©*21. **श्री नव कुमार सरनीयाः**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मोबाइल एवं लैंडलाइन उपभोक्ताओं की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त राज्यों में बीएसएनएल के नेटवर्क को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्तावित तथा कार्यान्वित की ज़ा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र में बीएसएनएल ब्राडबैंड स्पीड में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन राज्यों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लैंडलाइन का उपयोग नहीं किया जाता;

(ङ) क्या उन क्षेत्रों में बीएसएनएल लैंडलाइन कार्यशील है;

(च) इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध विकल्प क्या हैं; और

(छ) क्या सरकार का इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे इन राज्यों के लोगों को कितना लाभ होने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद):

(क) से (छ): ~~विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।~~ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वितरण सभा पटल पर रखता हूं ... (व्यवधान)

~~जारी.....2/~~

© Since Shri Naba Kumar Sarania was not present, Hon'ble Speaker asked the Hon'ble minister to lay the reply.

\\

विवरण

-2-

लोक सभा में "उत्तर-पूर्वी राज्यों में बीएसएनएल की सेवाएँ" विषय पर दिनांक 03 फरवरी 2021 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *21 के भाग (क) से (छ) के संबंध में सभा पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

(क) देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के मोबाइल और लैंडलाइन उपभोक्ताओं का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	दिनांक 30.09.2020 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल उपभोक्ताओं की संख्या	
		लैंड लाइन उपभोक्ता	मोबाइल उपभोक्ता
1	असम	88,179	28,88,111
2	मेघालय	13,927	3,21,149
3	मिजोरम	10,102	2,33,861
4	त्रिपुरा	16,683	4,33,063
5	अरुणाचल प्रदेश	20,984	1,93,647
6	मणिपुर	8,907	99,509
7	नागालैंड	5,546	86,377
8	सिक्किम	5,060	65,513

(ख) बीएसएनएल ने सूचित किया है कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं:

ब्रॉडबैंड के लिए:

1. बीएसएनएल ने पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में 680 वाई-फाई हॉटस्पॉटों के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए है।
2. पूर्वोत्तर राज्यों में ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाने के लिए शिलांग और ईटानगर में अतिरिक्त ब्रॉडबैंड नेटवर्क गेटवे (बीएनजी) जोड़े गए हैं।

जारी.....3/

12

-3-

3. नागालैंड में 5 अधिक क्षमता वाले एमपीएलएस-टीपी, एमएनजी-पीएएन (मल्टी प्रोटोकोल लेबल स्विचिंग-ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल बेस्ड नेक्स्ड जेनेरेशन पैकेट एग्रीगेशन नेटवर्क) प्रौद्योगिकी आधारित नोड्स स्थापित किए गए हैं। त्रिपुरा में 15 नोड्स संस्थापित किए गए हैं और असम में 36 नोड्स संस्थापित किए गए हैं जिनसे पूर्वोत्तर राज्यों में अभिगम नेटवर्क की परियात क्षमता में सुधार हुआ है।
4. पूर्वोत्तर राज्यों के उपभोक्ताओं की सुविधा में सुधार लाने के लिए डीएनएस सर्वरों से जोड़ने के लिए अगरतला, त्रिपुरा में नए डोमेन नेम सर्वर (डीएनएस) संस्थापित किए गए हैं।
5. डीएसएलएएम (डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीपलेक्सर) ओसीएलएएन (अदर सिटी लोकल एरिया नेटवर्क), ओएलटी (ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल) के बैकहॉल, का उन्नयन किया गया है।

लैंडलाइन के लिए:

बीएसएनएल बेहतर सेवा गुणवत्ता तथा अधिक प्रभावी निगरानी के लिए अपने सभी लैंडलाइन उपभोक्ताओं को पुरानी प्रौद्योगिकी एक्सचैंजों के स्थान पर सर्वर प्रौद्योगिकी आधारित सॉफ्ट स्विचों से जोड़ रहा है।

मोबाइल के लिए:

चरण VIII.4 परियोजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में मोबाइल नेटवर्क सुदृढ़ किया गया है। इस परियोजना के तहत शुरू किए गए बीटीएस/ई-नोड बी की राज्य-वार स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	चरण VIII.4 के तहत आरंभ			
		2 जी	3 जी	4 जी	कुल
1	असम	436	665	284	1385
2	मेघालय	5	83	108	196
3	मिजोरम	13	34	58	105
4	त्रिपुरा	7	125	120	242
5	अरुणाचल प्रदेश	45	55	50	150
6	मणिपुर	75	99	74	248
7	नागालैंड	18	18	17	53
8	सिक्किम	90	45	40	175

जारी.....4/

१२

-4-

बीएसएनएल तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता और निधियों एवं उपकरणों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न नेटवर्क विस्तार चरणों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार साइटों की संख्या बढ़ा रहा है। इस प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों सहित इसके सभी लाइसेंस युक्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) के और अधिक गांवों एवं शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज और डेटा कनेक्टिविटी बढ़ रही है।

बीएसएनएल ने 4जी सेवा विस्तार के लिए पीओसी (प्रूफ ऑफ कान्सेप्ट) हेतु दिनांक 01 जनवरी 2021 को ई.ओ.आई. (रूचि की अभिव्यक्ति) आमंत्रित की है।

(ग) बीएसएनएल ने सूचित किया है कि यह सभी पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च-गति ब्रॉडबैंड वाले फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान कर रहा है। 32,266 एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों में 4जी सेवाओं के विस्तार के बाद इस क्षेत्र में बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड स्पीड में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

(घ) से (च) पूर्वोत्तर राज्यों में बीएसएनएल के 342 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों सहित 521 लैंडलाइन टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं और बीएसएनएल इन टेलीफोन एक्सचेंजों के 5 किलोमीटर के दायरे में सेवाएं प्रदान कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में टेलीफोन एक्सचेंजों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	असम	179	342	521
2	मेघालय	20	25	45
3	मिजोरम	25	25	50
4	त्रिपुरा	31	48	79
5	अरुणाचल प्रदेश	28	40	68
6	मणिपुर	18	23	41
7	नागालैंड	20	12	32
8	सिक्किम	9	23	32

जारी.....5/

14

-5-

तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित अपने सभी क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीएसएनएल सदैव अपने दूरसंचार नेटवर्क में अपटाइम बनाए रखने का प्रयास करता रहता है। बीएसएनएल ने सूचित किया है कि यह लैंडलाइन और मोबाइल दोनों के उपभोक्ताओं के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित किए गए अधिकांश सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) पैरामीटरों को पूरा करता है।

इसके अलावा, मोबाइल टावरों के प्रसार और बीएसएनएल तथा अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मोबाइल नेटवर्क विस्तार से मोबाइल सेवाओं के उपयोग में वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के अधिकांश लोगों ने अब मोबाइल सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

(छ) पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश की सभी लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट परियोजना के तहत दिनांक 15.01.2021 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में ब्लॉक मुख्यालयों (बीएचक्यू) (2,954 ग्राम पंचायतें ओएफसी से और 2,200 ग्राम पंचायतें सैटेलाइट मीडिया से) सहित कुल 5,154 ग्राम पंचायतें सेवा हेतु तैयार हैं। राज्य-वार सूची निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (बीएचक्यू सहित)	ओएफसी मीडिया पर		सैटेलाइट मीडिया पर		सेवा हेतु तैयार कुल ग्राम पंचायतें जीपी
			लक्ष्य	सेवा हेतु तैयार ग्राम पंचायतें	लक्ष्य	सेवा हेतु तैयार ग्राम पंचायतें	
1	असम	2750	2745	1627	5	0	1627
2	मेघालय	1791	1194	122	597	237	359
3	मिजोरम	763	262	41	501	262	303
4	त्रिपुरा	1006	864	595	142	135	730
5	अरुणाचल प्रदेश	1796	717	88	1079	422	510
6	मणिपुर	2785	1566	326	1219	1091	1417
7	नागालैंड	994	874	127	120	53	180
8	सिक्किम	176	163	28	13	0	28
कुल		12061	8385	2954	3676	2200	5154

जारी....6/

15

-6-

इसके अलावा, भारत नेट परियोजना के भाग के रूप में वाई-फाई अथवा किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम छोर तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। विद्यालय, अस्पताल, डाक-घरों, आंगनवाड़ी, पुलिस स्टेशनों आदि जैसी सार्वजनिक/सरकारी संस्थाओं में ब्रॉडबैंड नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिनांक 15.01.2021 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में 51 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट संस्थापित किए गए हैं और 8942 एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

दूरसंचार विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। बेस ट्रांसीवर स्टेशनों की संख्या दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार 62,516 थी जो दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 82,500 हो गई है अर्थात इसमें 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार किए गए प्रयासों से अखिल भारत औसत टेली घनत्व 86.38 प्रतिशत की तुलना में असम में बढ़कर 68.33 प्रतिशत और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में 78.89 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार दिनांक 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार डाटा उपयोग के अखिल भारत औसत 12.15 जीबी की तुलना में यह असम के लिए 14.02 जीबी और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 12.10 जीबी है

*****

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, संसद की मर्यादा को बनाए रखें। यह संसद देश के लोकतंत्र की सबसे सर्वोच्च संस्था है। उसकी मर्यादा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि आप अपनी-अपनी सीट पर जा कर बैठें और जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, आप उस विषय पर चर्चा कीजिए। आपकी चर्चा कराने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे। लेकिन आप अपनी सीट पर जा कर बैठिए।

…(व्यवधान)

16.05 ½ hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही 4 बज कर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

…(व्यवधान)

16.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Sixteen of the Clock.

16.31 hrs.

The Lok Sabha reassembled at Thirty One Minutes past Sixteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

…(व्यवधान)

ORAL ANSWER TO QUESTION-Contd…

HON. SPEAKER: Shri Naba Kumar Sarania – not present.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जगदम्बिका पाल जी।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है।…(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि whether it is true that the BSNL has lost more than 10 lakh subscribers between June and November 2020. How many subscribers from the North Eastern States and the Aspirational Districts, as the North Eastern States fall under this category?

16.32 hrs

At this stage, Shri Bhagwant Mann, Shri Hibi Eden, Adv. A.M. Arif and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आप अपनी बात कह दें।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, ये सभी मेम्बर्स चाहते हैं कि किसान मुद्दे की गम्भीरता और उसकी अहमियत के चलते प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर और किसान के मुद्दे पर अलग-अलग चर्चा हो।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन के काँग्रेस दल के माननीय नेता और सभी दलों के नेताओं से चर्चा हो चुकी है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सभी अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए। मैं व्यवस्था दूंगा। आप अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी कुछ संसदीय परम्पराओं का पालन कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़, आप अपनी सीट पर जाएं। कोई बात होती है तो वह डिसिप्लिन में हो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी वह चर्चा होगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुन: आग्रह कर रहा हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर सदन में देता हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भगवंत मान जी, अगर आपको चर्चा करनी है तो आप अपनी सीट पर जाइए। मैं आपको पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन, अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, संसद की मर्यादा को नहीं रखना चाहते हैं तो मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़, ऐसा न करें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज़, अपनी सीट पर बैठें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुन: आग्रह कर रहा हूँ कि आप सब माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर जाकर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूँगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप अपनी-अपनी सीट पर बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही पांच बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

…(व्यवधान)

16.35 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till
Seventeen of the Clock.

____

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS
(Starred Question Nos. 22 to 40
Unstarred Question Nos. 231 to 460)
(Page No. 21-599)

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

<u>17.01 hrs</u>

The Lok Sabha reassembled at One Minute past Seventeen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

…(व्यवधान)

<u>17.01 ¼ hrs</u>

(At this stage, Shri Anto Antony, Shri Bhagwant Mann, Shrimati Harsimrat Kaur Badal and some other hon. Members stood on the floor near the Table.)

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(<u>व्यवधान</u>)

17.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आईटम नंबर 2 से 9, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री रवि शंकर प्रसाद की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप) धारा-3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन नियम (संशोधन), 2020, जो 19 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं . .आ.का1964(अमें प्रकाशित हुए थे (, की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्क)रण(।

[Placed in Library, See No. LT 2938/17/21]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8क के खण्ड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 903(अ), जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में परिसीमन प्रक्रिया को आस्थगित करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 904(अ), जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में परिसीमन प्रक्रिया को आस्थगित करने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 905(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मणिपुर राज्य में परिसीमन प्रक्रिया को आस्थगित करने के बारे में है।

(चार) का.आ. 906(अ), जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नागालैंड राज्य में परिसीमन प्रक्रिया को आस्थगित करने के बारे में है।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2939/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री पीयूष गोयल की ओर से, मैं वर्ष 2021-2022 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2940/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रहलाद जोशी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-21 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2941/17/21]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड**,** कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन**,** लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 2942/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री श्रीपाद येसो नाईक की ओर से**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत डायनामिक्सि लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग**,** रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-21 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2943/17/21]

(2) कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा 394 की उप-धारा (**1)** के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एकहिन्दी तथा अंग्रेजी संस्क) एक प्रति-रण):-

(एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड**,** हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड**,** हैदराबाद का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन**,** लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 2944/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, डॉ. जितेन्द्र सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) **(**एक) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2945/17/21]

(2) **(**एक) केंद्रीय लोक सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय लोक सेवा सांस्कृततिक और खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त)2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2946/17/21]

(4) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप) धारा-4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा) (अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No. LT 2947/17/21]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्न लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बैंगलुरु का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त)5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2948/17/21]

(7) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2949/17/21]

(9) (एक) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गदंकी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गदंकी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2950/17/21]

(11) (एक) नार्थ इस्टरर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ इस्टरर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2951/17/21]

(13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2952/17/21]

(दो) इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2953/17/21]

(तीन) न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2954/17/21]

(चार) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2955/17/21]

(पांच) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 2956/17/21]

(14) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थापन, खुर्दा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, खुर्दा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2957/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 1128(अ) जो 18 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 26 और 27 के अंतर्गत मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1231(अ) जो 31 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 72, 73 और 86 में नीति शर्त का समावेश करने तथा लोहा और इस्पात की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1460(अ) जो 13 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत चांदी की आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।

(चार) का.आ. 1873(अ) जो 12 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो टायरों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2289(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 6 के एचएस कोड 0603 के अंतर्गत कटे पुष्पों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(छह) का.आ. 2352(अ) जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 84 के अंतर्गत मदों की आयात नीति और नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।

(सात) का.आ. 2540(अ) जो 30 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 85 के एक्जिम कोड 8528 72 के अंतर्गत मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2705(अ) जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29, 38 और 39 के अंतर्गत आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 4338(अ) जो 2 दिसम्ब र, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 95 से नीति शर्त संख्या 2 (तीन) में संशोधन के बारे में है।

(दस) का.आ. 4449(अ) जो 12 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 2.25 में संशोधन के बारे में है।

(ग्यायरह) का.आ. 4534(अ) जो 18 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत स्वर्ण और चांदी की आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 06(अ) जो 1 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) की अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 113(अ) जो 8 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 15 के एक्जिम कोड 1511 90 के अंतर्गत मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(चौदह)का.आ. 114(अ) जो 8 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 8 के एचएस कोड 0808 11 00 के अंतर्गत में नीति शर्त का समावेश करने तथा आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 486(अ) जो 31 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 48 के एचएसएन कोड 4810 के अंतर्गत में नीति शर्त का समावेश करने के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 2958/17/21]

(2) निम्नलिखित संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष 2017-2018 की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दीक तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कांडला स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी

(दो) मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी

(तीन) नोएडा स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी

(चार) फाल्टा स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी

(पांच) शांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एसईजेड अथॉरिटी

(छह) कोचीन स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी

(सात) विशाखापत्तनम स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी

[Placed in Library, See No. LT 2959/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री संजय शामराव धोत्रे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 जो 22 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 का संख्यांक 1) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों का वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020 जो 22 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2020 का संख्यांक 2) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आधार (नामांकन और अपडेट) (आठवां संशोधन) विनियम, 2020 जो 2 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ए-13012/79/2017/लीगल-यूआईडीएआई(13)/खंड-दो में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सुशासन के लिए आधार सत्यापन (सामाजिक कल्याण, नवोन्मेष, ज्ञान) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त , 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2960/17/21]

(2) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स , नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स**,** नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2961/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी**,** श्री सोम प्रकाश की ओर से**,** मैं बायलर अधिनियम**, 1923** की धारा **28** की उप-धारा (**2)** के अंतर्गत भारतीय बायलर **(**दूसरा संशोधन) विनियम**, 2020** जो **11** सितम्बर**, 2020** के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. **551 (**अ) में प्रकाशित हुए थे**,** की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2962/17/21]

…(व्यवधान)

17.02 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON FINANCE

12th to 24th Reports

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): Sir, I beg to present the following Reports* (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance:-

(1) Twelfth Report - Financing the Startup Ecosystem.

(2) Thirteenth Report - Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2019-20) of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Investment and Public Asset Management).

(3) Fourteenth Report - Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2019-20) of the Ministry of Finance (Department of Revenue).

(4) Fifteenth Report - Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2019-20) of the Ministry of Corporate Affairs.

(5) Sixteenth Report - Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2019- 20) of the Ministry of Planning (NITI).

---

* 12th to 23rd Reports were presented to Hon'ble Speaker on 9th September, 2020 under Direction 71 A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha when the House was not in Session and the same were seen by the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha on 11th September, 2020. The Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Report under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

(6) Seventeenth Report - Action taken by the Government on the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Finance on ‘Demands for Grants (2019-20)' of the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

(7) Eighteenth Report - Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Investment and Public Asset Management).

(8) Nineteenth Report - Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 8th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of Finance (Department of Revenue).

(9) Twentieth Report - Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 9th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of Corporate Affairs.

(10) Twenty-First Report - Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2020-21) of the Ministry of Planning (NITI).

(11) Twenty-Second Report - Action taken by the Government on the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Finance on ‘Demands for Grants (2020-21)' of the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

(12) Twenty-Third Report - Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 50th Report (16th Lok Sabha) on the subject ‘Review of NSSO and CSO and Streamlining Of Statistics Collection Machinery in the Country, including Management Information System for Project Monitoring/Appraisal'.

(13) Twenty-Fourth Report - The Factoring Regulation (Amendment) Bill, 2020.

17.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR
10th to 15th Reports

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

(4) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

(5) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

(6) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

17.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY
300th to 303rd Reports

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन[$] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 297वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 300वां प्रतिवेदन।

(2) लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 298वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 301वां प्रतिवेदन।

(3) भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में समिति के 299वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 302वां प्रतिवेदन।

(4) 'ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गिरावट – इसका प्रभाव तथा पुनरुद्धार के उपाय' के बारे में 303वां प्रतिवेदन।

[$] The Reports were presented to the Hon'ble Chairman on 15th December, 2020 and were also forwarded to Hon'ble Speaker, Lok Sabha on the same day when House was not in Session and Hon'ble Chairman was pleased to order for the publication and circulation of these Reports.

<u>17.04hrs</u>

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE
340th Report

DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR): Sir I beg to lay on the Table the 340th

Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on "The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2019".

____

… (*Interruptions*)

17.04 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
280th to 286th Reports

SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): Sir I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

(1) Two Hundred Eightieth Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its Two Hundred Seventieth Report on 'Development of Tourism in Jammu and Kashmir'.

(2) Two Hundred Eighty First Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its Two Hundred Seventy Sixth Report on Demands for Grants (2020-21) of Ministry of Civil Aviation.

(3) Two Hundred Eighty Second Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its Two Hundred Seventy Seventh Report on Demands for Grants (2020-21) of Ministry of Culture.

(4) Two Hundred Eighty Third Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its Two Hundred Seventy Ninth Report on Demands for Grants (2020-21) of Ministry of Shipping.

(5) Two Hundred Eighty Fourth Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its Two Hundred Seventy Fifth Report on Demands for Grants (2020-21) of Ministry of Tourism.

(6) Two Hundred Eighty Fifth Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Two Hundred Seventy Eighth Report on Demands for Grants (2020-21) of Ministry of Road Transport and Highways.

(7) Two Hundred Eighty Sixth Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its Two Hundred Sixty Ninth Report on 'Cargo Handling at the Major Ports'.

____

17.05 hrs

MOTIONS RE: ELECTION TO COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move: -

(1) Motion for election to the Committee on Welfare of Other Backward Classes (2021-2022): -

> "That in pursuance of para (3) of item at Sl. No. 7 containing the Motion adopted by the House on 24.06.2019, the members of this House do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, twenty members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the term of one year beginning from the date of the first sitting of the Committee."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

(1) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2021-2022) के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव:-

> "कि सभा द्वारा 24.6.2019 को स्वीकृत प्रस्ताव से संबंधित क्रम सं. 7 पर मद के पैरा (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move: -

(2) Motion for joining ten members of Rajya Sabha with the Committee on Welfare of Other Backward Classes (2021-2022): -

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to elect 10 members from amongst the members of the Rajya Sabha to join in the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the term of one year beginning from the date of the first sitting of the Committee and do communicate to this House the names of members so elected to the Committee."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2021-2022) में राज्य सभा के दस सदस्यों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में शामिल होने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से 10 सदस्य निर्वाचित करने के लिए सहमत हो और समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शून्य काल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें आप अपने सारे विषयों को रख सकते हैं। इसके लिए आपको चुन कर जनता ने भेजा है, वहां की जनता की भावनाओं, वहां की समस्याओं को आप सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको शून्य काल में पर्याप्त समय और अवसर दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए। मैं आप लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। आप जनता की समस्याएं, उनकी कठिनाइयां, उनके अभावों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको शून्यकाल में पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठिए।

…(व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, the same demand was there in the other House also and we discussed with the leaders and the leaders agreed that more time be given to the discussion on Motion of Thanks on the President's Address. …(*Interruptions*) Government and the Opposition sat together and we came to conclusion for allotting 15 hours. The same thing was discussed with the leaders here in this House also. …(*Interruptions*) I do not want to name them, but before the commencement of the sitting of the House today, I had personally discussed and as far as I know, you have also talked to them. इसके बाद एग्रीमेंट भी हुआ था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा पहली प्राइआरिटी है, इसलिए हम इसे शुरू करेंगे, राष्ट्रपति को धन्यवाद करना पहले से भी प्रेसिडन्ट है। …(व्यवधान) इसलिए सभी लोग एग्री हुए थे लेकिन

इनको क्या हो गया, मुझे पता नहीं, अचानक ये पलटकर अभी कह रहे हैं कि हम सदन नहीं चलने देंगे, यह राष्ट्रपति का भी अपमान है। …(व्यवधान) मैं विनती करता हूं कि जो कुछ भी लीडर्स के साथ चर्चा हुई थी, कम से कम उसको तो मान्यता दे दीजिए, फॉलो-अप कीजिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही शाम सात बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>17.09hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Nineteen of the Clock.

19.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Nineteen of the Clock.

(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair)*

…(व्यवधान)

(At this stage, Shri Bhagwant Mann, Shrimati Harsimrat Kaur Badal, Shri Kodikunnil Suresh and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

19.01 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over text of the matter at the Table of the House immediately.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

… (*Interruptions*)

---

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to run superfast trains from Maldah, West Bengal to New Delhi and Bengaluru.

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र मालदा उत्तर में रेल सुविधाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र बाढ़ और कटान की विभीषिका से त्रस्त है एवं अत्यंत पिछड़ा गरीब इलाका है। लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। ऐसे में मेरे लोक सभा क्षेत्र के अधिकांश लोग दिल्ली और बेंगलुरु में नौकरी, रोजगार एवं इलाज हेतु जाते हैं। रेल सुविधा सीमित होने के कारण लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मालदा से पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कानपुर होते हुए नई दिल्ली के लिए एक सुपर फास्ट ट्रेन चलाई जाए एवं मालदा से बेंगलुरु के लिए सुपर फास्ट ट्रेन चलाई जाए। इससे लोगों को आवागमन हेतु सुविधा मिलेगी और मेरे क्षेत्र का विकास होगा।

(ii) Need to develop places with scenic natural beauty in Kanker Parliamentary Constituency, Chhattisgarh as tourist destinations

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): मेरे संसदीय क्षेत्र जिला कांकेर अंतर्गत मलाजकुडुम जल प्रपात एवं गड़िया पहाड़, सोनई-रुपई तालाब, ईशान वन, गांडा-गौरी सती-स्थल, दुधावा बांध, माणमसिल्ली बांध, चर्रे-मर्रे झरना, गोबरहिन, केशकाल घाटी, टाटामारी और पंचवटी आदि ऐसे अनेको मनोरम एवं दार्शनिक स्थल हैं। आज के परिदृश्य में इनका संवर्धन एवं सौंदर्यीकरण कर पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित कराए जाने की अति आवश्यकता है। पर्यटन केन्द्रों के रूप मे इन स्थलों का विकास होने से यहाँ के स्थानीय आदिवासी शिक्षित बेरोजगारों एवं गरीब-बेसहारा को भी रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। छतीसगढ़ राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। उन्नयन के बाद देश के दूसरे कश्मीर के रूप में इसकी पहचान होगी। अत: उक्त संबंध में सरकार से अतिशीघ्र उचित कार्यवाही हेतु अपनी पुरजोर मांग करता हूँ।

(iii) Need for a policy for cycling tracks in all cities.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): There is a need for cycling tracks in the country. Currently, the pollution in Delhi and other major big cities in our country is very severe. Lifestyle-related diseases are also rising. This can be understood from the fact that India has 73 million diabetic patients. Most people want to do cycling. They are discouraged by congestion and safety issues on road. There is an urgent need for construction of cycling tracks in all major big cities. Sir, the cycling culture will also help in attracting tourism in our cities. The European cities are examples of this.

The cycling tracks development will act as an incentive for people to ride cycles. I, therefore, urge upon the Government to make a policy regarding all cities to have cycling tracks.

(iv) Regarding mode of transfer of funds to Panchayati Raj Institutions in Rajasthan

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): मैं **सरकार** का ध्यान राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पी.डी. खाते खोलकर उनके संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज राज्य सरकार के ऐसे आदेशों के कारण राजस्थान में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सरपंच आंदोलन की राह पर हैं। केंद्र सरकार पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त करने का प्रयास कर रही है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने 73वां संविधान संशोधन कर पंचायतीराज संस्थाओं को और अधिक वित्तीय अधिकार देकर गांवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, वहीं राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को अधिकार विहीन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के वैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनकर इन संस्थाओं को पंगु बनाने का काम कर रही है।

ग्राम पंचायतों के बजट के संबंध में पब्लिक फंड मैनेजमेंट की गाइडलाइन से स्पष्ट उल्लेख है कि पंचायतों का पैसा सीधा उनके खाते में जाएगा, जबकि राजस्थान में इसके विपरीत हो रहा है। अब पहले पंचायतों का पैसा पी.डी. खाते में जाएगा यानी पंचायतों को कोष कार्यालय (ट्रैजरी) के माध्यम से पैसा मिलेगा। ये कैसा न्याय है? जबकि पंचायतीराज की शुरूआत ही राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी और उन्हीं की सरकार इन संस्थाओं को पंगु बनाने पर तुली हुई है।

अत: मैं इन संवैधानिक संस्थाओं के वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती आदेशों को प्रत्याहरित करने की मांग करता हूं ताकि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकार न छिन जाएं अन्यथा गांवों के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा।

(v) Need to address the problems afflicting the Tripura Tribal Area Autonomous District Council

श्री रेबती त्रिपुरा (त्रिपुरा पूर्व): त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के समस्याओं के निस्तारण हेतु केंद्र सरकार विचार कर रही है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये अमेंडमेंट किया जाए जिससे कि TTADC को मोर पावर दिया जाए, सीटों की संख्या बढ़ायी जाए, तथा बजट भी बढ़ाया जाए ताकि असंगठित क्षेत्रों का निरंतर विकास हो सके। जनजातीय क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सके।

(vi) Need to sanction funds for development of Pomegranate Research Centre, Solapur, Maharashtra

डॉ. जयसिद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र शोलापुर मे राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र है। अनार की फसल के अनुसंधान और विकास के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के उद्देश्य से इस केंद्र का निर्माण किया गया है। देश में यह एक मात्र संस्थान है जो अनार पर काम कर रहा है। इस केंद्र के वैज्ञानिकों ने 'शोलापुर लाल' नामक एक लौह से भरपूर संकर किस्म की खोज की है। इस केंद्र मे किये जाने वाले अध्ययन के कारण किसान की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हो रही है। इस केंद्र में आने वाले वैज्ञानिक एवं उनकी संख्या को देखते हुए इस केंद्र की इमारत को बढ़ाना और वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिये रूम की व्यवस्था तथा उपकरण की उपलब्धता कराना अत्यंत आवश्यक है। इस अनुसंधान केंद्र की कंपाउन्ड वॉल न होने के कारण जंगली पशु केन्द्र के परिसर मे आकर नुकसान करते हैं। इसलिये इस केंद्र के चारों और कंपाउन्ड वॉल का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि शोलापुर अनार अनुसंधान केंद्र के विकास के लिये संस्थान द्वारा केंद्र सरकार को दिये गये प्रस्ताव पर सकारात्मकता से विचार करते हुए पर्याप्त धनराशि मंजूर करें।

(vii) Regarding water scarcity in Darjeeling hills, Terai and Dooars in West Bengal.

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Despite receiving second highest rainfall after Cherrapunji, water scarcity is the most chronic issue in both urban and rural areas of Darjeeling hills, Terai, and Dooars. Due to unplanned development of urban cities and inadequate infrastructure, traditional water sources like lakes, springs, and canals are drying up. Unchecked illegal sand and stone mining from rivers have reduced the retention capacity of our rivers. Multiple dams built over Teesta River and its tributaries have caused much destruction to our river systems and water cycle. While our region receives enough rain, what we lack is the resources to retain the abundant water. Nearly 15 Lakh people live under acute water shortage including towns of Darjeeling, Kalimpong, Kurseong, Mirik, Siliguri – along with the Matigara, Phansidewa, Khoribari, Naxalbari blocks.

I urge upon the Government to take a holistic approach to the Har Ghar Jal Programme, and also consider rejuvenating and reviving local water bodies.

Thank you.

(viii) Regarding delay in construction of new building for ESI dispensary at Navaikulam in Attingal, Kerala

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): I would like to draw the attention of the Government to the long delay in the construction of new building for ESI dispensary at Navaikulam in my constituency, Attingal, Kerala. The Union Government had sanctioned a grant of Rs. 4 crore in the year 2012 for the construction of new building and two acres of land was acquired by the ESI Corporation. But even after 9 years, the project is still pending. After a lot of follow-up, the ESIC has given approval for the revised project and engaged the CPWD in May, 2020 to submit the revised plan and estimate. But still after one year the construction work has not yet started. The ESI dispensary started functioning in the year 1970 and thousands of poor workers in five Panchayats are dependent on it for obtaining medical service. I request the Government to take necessary action for carrying out the construction of new building for this dispensary at the earliest.

(ix) Regarding Tiruchirappalli Junction 4-lane RoB project near Mannarpuram, Tamil Nadu

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Tiruchirappalli Junction 4-lane RoB project near Mannarpuram was proposed in two phases in 2011 by Tamil Nadu State Highways Department. The RoB was designed to redirect vehicles heading to other districts without entering the city. The first phase of the ROB was partially completed in 2018 and opened for traffic. However, the vital Chennai arm was left incomplete due to delay in transfer of 0.66 acres of defence land, consequently delaying the second phase of RoB.

The Government of Tamil Nadu has identified an alternative land (Tamil Nadu Special Battalion Land) for transfer which is adjacent to Defence land. NOC for transfer of requisite land to Defence Ministry was also given by Tamil Nadu Government. As this is a long pending infrastructure project of Tiruchirappalli city, I would urge upon the hon. Minister of Defence to take appropriate action for early transfer of required Defence land and grant permission to resume this pending project.

(x)Regarding alleged fraud in the PM Kisan Scheme

SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): In Tamil Nadu a huge fraud in the PM Kisan scheme has been exposed. Money has been deposited in the accounts of non-farmers. This has been done in an organised manner, with the alleged collusion of ruling Government party functionaries, leaders and ministers and the officials. The fraud has sent shock waves across the actual beneficiaries. In a time when the poor farmers are suffering, the Government allowing something like this to happen is very serious. Now it is stated that the fund deposited will be recovered from the people concerned in full. Even the recovery process has begun and it is reported 90 per cent money amounting to Rs. 100 crore and more. The easy recovery report shows that the fraud was done with the active support of the ruling party and officials. This recovery maybe an effort to cover up earlier frauds, hence a detailed enquiry should be ordered by the Union Government to unearth the modus operandi. It should cover earlier payments as well. This should be done to stop the possibility of future frauds. The Government funds in these difficult times should not be allowed to be misappropriated. In my Parliamentary Constituency Kallakurichi alone Rs. 10 crore have been allegedly misappropriated. It is reported that 12 officials have been arrested in this connection in Viluppuram and Kallakurichi districts of Tamil Nadu alone. The political people including the MLAs and Local body authorities involved should not be left out, as it is reported that they were the cause for this large-scale fraud.

(xi) Regarding initiatives to complete Morappur-Dharmapuri New Railway Line

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Morappur-Dharmapuri New Railway Line, a 36 kms project (cost Rs 358.95 crores) is a long pending and very important demand. Foundation was laid by Shri Piyush Goyal, the Railway Minister on 4.3.19. I had met Railway Minister and the concerned GM & DRM of Railways personally regarding this and was told that it is lying with Dharmapuri District Collector for survey and demarcation of land/identifying patta in the Railway alignment and the work will be taken up after completing land acquisition for this project by the Tamil Nadu Government. Sir, it's nearly 2 years but this 36 km Morappur-Dharmapuri New Railway Line is still pending. This Railway line will bring development, revenue, trade and cheaper transport facilities to the people in the rural areas, who will be connected to Dharmapuri and Morappur towns. Hence, I draw the attention of the Railway Minister, through you, to look into this matter and take initiative to complete Morappur-Dharmapuri New Railway line at the earliest.

(xii) Regarding sanction of pending amount under National Social Assistance Programme to Andhra Pradesh

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): The amount due to be allocated to the State of Andhra Pradesh under the National Social Assistance Programme for the year 2020-2021 is Rs 318 crore. However, as on January 2021, there is a pending amount of roughly Rs. 85 crore. I would like to request the Hon'ble Minister for Rural Development to kindly sanction the remaining pending amount to the State of Andhra Pradesh at the earliest.

(xiii) Regarding facilities of Minority education in National Education Policy (NEP 2020).

SHRIMATI SAJDA AHMED (ULUBERIA): I would like to draw the attention of the Government to pay special attention to the facilities of minority education in National Education Policy (NEP 2020). I do believe that the Indian education system and successive Government policies have made steady progress towards bridging gender and social category gaps at all levels of school education, however, large disparities still remain. Lots of recommendations of the Sachar Committee Report are still pending.

According to U-DISE 2016-2017 data, not only SCs & ST, Minorities are also relatively under-represented in school and higher education. Children from minority community face disadvantages at multiple levels due to various social and economic factors. On the other hand, New Education Policy has ignored minority rights and the facilities guaranteed by the Constitution of India to these communities to establish and administer educational institutes. The Policy acknowledges the importance of interventions to promote education of children belonging to minority community, but there is no roadmap in this policy regarding the eradication of discriminations.

(xiv) Regarding new Education Policy

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): I strongly denounce the Union cabinet decision to unilaterally impose a New Education Policy and rename the Ministry of Human Resources Development.

Education is in the concurrent list in our constitution. It is a gross violation by the Central Government to impose a new Education Policy unilaterally by passing all the objections and opposition recorded by various state Governments. A new policy of such nature needs to be discussed in the parliament. This was assured by the Government earlier placed on the table of the house with a statutory time limit within which Members of Parliament can move amendments/give opinions. The Parliament has been completely bypassed. The draft of New Education Policy was put out in the public domain seeking suggestions and opinion from stake holders mainly the academicians, the teaching community and the students. In addition, many intellectuals had also sent in their observations. None of these have been considered. This unilateral drive is to destroy the Indian education system with a policy that seeks greater centralization, communication and commercialization. I hereby strongly protest against this move by the Central Government.

So, I once again request that a thorough discussion in Parliament be held before implementation begins.

(xv) Need to enhance the rate of compensation for loss of horticulture and cash crops due to natural calamities.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जैसे संतरा, किन्नू कैश क्रॉप जैसे- जीरा, ईसबगोल आदि की प्रारंभिक लागत बहुत ज्यादा है, साथ ही प्राकृतिक आपदा से खराब होने की स्थिति में एसडीआरएफ के जो नॉर्म्स हैं, उसके अनुसार इस श्रेणी की फसलों में खराब होने की स्थिति में कृषि आदान-अनुदान मात्र 18000 रुपये प्रति हेक्टेयर है, जो अत्यंत कम है। इसलिए इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम 50000 रुपये प्रति हेक्टेयर से अधिक किया जाना अत्यंत आवश्यक है। चूंकि इस हेतु नियमों में परिवर्तन करना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मामला है और राजस्थान के मुख्य सचिव ने 11 मई, 2016 को इस संबंध में भारत सरकार से पत्राचार भी किया था। इसलिए इस श्रेणी की फसलों हेतु आदान-अनुदान की सीमा को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर करने हेतु गृह मंत्री जी से अनुरोध है, ताकि किसानों को राहत मिले।

(xvi)Need to attach Vistadome Coaches in Kollam-Chennai route.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The Kollam–Shencottah railway line is one of the best railway lines for the operation of vistadome coaches. Kollam–Punalur–Shencottah railway line is covered by beautiful hill terrain with full of greeneries. There is immense scope of railway tourism development in this route. The train journey through this line will give a special experience of pleasure and happiness due to the speciality of the geographical conditions. The eco-tourism development is going on in most of the places near stations in Kollam–Shencottah railway line. Palaruvi, Thenmala Eco-Tourism, Aryankavu, Achankovil, Kaduthuruthy, Kulathupuzha, Kottarakkara, Kollam, etc., are the most known tourist places situated near this railway line. It is learnt that railway is attaching vistadome coaches in trains running through important tourist destinations with good sceneries and greeneries. Hence, I urge upon the Government to attach vistadome coaches in express train between Kollam–Chennai route via Shencottah-Punalur.

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आप सबसे आग्रह है कि आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाएं और नियमानुसार आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा।

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I am requesting all of you to go back to your seats and under the specific rule you will be allowed to speak and say what you want to say.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back. It is unbecoming of the Members of Parliament.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is unbecoming of the Members.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: This is a House which is meant for debating the subjects.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही नौ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

…(व्यवधान)

19.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twenty One of the Clock.

21.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at One Minute past Twenty One of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

…(व्यवधान)

At this stage, S/Shri T.N. Prathapan, Bhagwant Mann and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो सभा का समय बढ़ाया जाए?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर, सभा की सहमति हो तो सभा का समय बढ़ाया जाए?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा का समय बढ़ाने के लिए क्या वोटिंग करा दें? आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर बैठें। सभा का समय बढ़ाने के लिए वोटिंग कराएंगे। प्लीज आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शून्यकाल एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें आप में से कई लोगों ने अपने विषयों को रखा है। अच्छा होगा, आप सदन में चर्चा कीजिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं कठिनाइयों को रखें। आपको चुनकर इसलिए भेजा था कि आप अपनी जनता की बातों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको सदन में नारेबाजी और तालियां बजाने के लिए नहीं भेजा है। आपकी जनता आपको देख रही है। आपको चुनकर इसलिए भेजा था कि आप जनता की बात को यहां पर रखें। आप तालियां और नारेबाजी लगा रहे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेघवाल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं**?**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, जो धन्यवाद प्रस्ताव है, उसमें यह परम्परा रहती है कि हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। **…(व्यवधान)** सबसे पहले यही काम होता है। राष्ट्रपति जी ने संयुक्त सत्र को आहूत करके अपना संबोधन दिया था । हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए। यह हमारी कांस्टिट्यूशनल ड्यूटी है। **…(व्यवधान)** यह हमारा संवैधानिक दायित्व है, जिसको हमें करना चाहिए। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से विभिन्न दलों के नेताओं से प्रहलाद जोशी जी की और मेरी खुद की बात हुई है, उसके अनुसार आपने भी अपने कक्ष में बुलाकर मीटिंग की थी। आप उसके अनुसार आचरण करेंगे, तो संसदीय परम्पराओं का निर्वहन होगा, अन्यथा ऐसा माना जाएगा कि एग्रीमेंट कर लिया है।**…(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, क्या आज आप चर्चा करना चाहते हैं**?**

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमने अपनी मांग आपको सुना दी है। हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस भी हो और साथ-साथ बजट डिस्कशन से पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाए। **…(**व्यवधान**)**

श्री अर्जुन राम मेघवाल: ये मुद्दा उठाएं। ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। …(व्यवधान) मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदन को चलाएं। धन्यवाद।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हमारी मांग भी वाजिब है। हम भी प्रेसिडेंट साहब का सम्मान करते हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राष्ट्रपति अभिभाषण के समय आप देश के सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको चर्चा के लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपने आसन पर जाइए और चर्चा करें। देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, राष्ट्रपति अभिभाषण के मुद्दों पर चर्चा करें। उसके बाद मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: इस सरकार ने लोहे की कील लगा दी, कँटीले तार लगा दिए। ऐसा लगता है कि हमारी दिल्ली के अन्दर यह एक अलग-सा किला बन गया। सर, दिल्ली में यह क्या हो गया**?** **…**(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप सदन में संवाद नहीं करना चाहते। आपको इसलिए चुन कर भेजा गया है कि आप चर्चा करें, संवाद करें, बातचीत करें। मैं आपको बातचीत करने का पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट्स पर जाइए। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। आप बोलना नहीं चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप संसद की मर्यादा को खत्म कर रहे हैं। आप अपने-अपने आसन पर जाइए। अपने स्थान पर जाकर अपनी बात रखें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 4 फरवरी, 2021 को दोपहर चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

21.05 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock on Thursday, February 4, 2021/Magha 15, 1942 (Saka).

____